

9
24/11/21

प्रशासन गांवों के संप्रभु अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत फौजवाला

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

कैम्प

रायसिंहनगर

मनेज उमर उर्फ राम उमर बनाम

रायकार

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 38/सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
24.11.2021	<p>तहसीलदार भूअ./नायब तहसीलदार राजसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021/1344 दिनांक 24.11.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत फौजवाला में प्रार्थी के नाम चक 78RB की जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता सं 239 में मनेज उमर पुत्र मनीराम 107/2783 हि के स्थान पर मनेज उमर उर्फ राम उमर पुत्र मनीराम 1732/5566 हि की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 78RB तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता सं 239 में मनेज उमर पुत्र मनीराम 107/2783 हि राम उमर पुत्र मनीराम 3/11 हि के स्थान पर मनेज उमर उर्फ राम उमर पुत्र मनीराम 1732/5566 हि की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अकम तदनुसार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

